संख्या-4/2020/83/96-आयुष-1-2020-07/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 24 जनवरी, 2020**

विषय-राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में मशीनें और सज्जा/उपकरण तथा संयंत्र के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4549/यू0नि0/यो0/2019-20; दिनांक 07.01.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में मशीनें और सज्जा/उपकरण तथा संयंत्र के क्रय हेतु धनराशि रू0-14.00 लाख (रूपया चौदह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष एकमुश्त धनराशि रू0-14.00 लाख (रूपया चौदह लाख मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ की है।
2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से सम्बन्धित अधीक्षक तथा निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत क्रय संबंधी कार्यवाही सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-सी0एम0-02/18-2-2019-97(ल030)/2016, दिनांक 14.08.2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।
6- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधीक्षक एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।
7- प्रायोजना स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
8- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
9- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- निदेशक, अधीक्षक द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 04-यूनानी औषधि निर्माणशाला, 00 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2020/83(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ।
(6) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in